

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण/ई.फा 197/जो.जयपुर /2023/ 100 दिनांक:- 19/2/24

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथी से स्थाई किया जाता है -

क.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी
1.	चन्द्रकला शर्मा	उप स्वा केन्द्र फूलेला, बांदीकुई दौसा	01.07.1972	24.12.1998

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण/ई.फा 197/जो.जयपुर /2023/ 100 दिनांक:- 19/2/24
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर ।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर दौसा को उनके पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 28.02.23 के क्रम में ।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदी कुई, दौसा ।
- डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
- आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
4295895

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :16-02-2024 02:19:48